

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(232)वित्त-1(1)आ.व्यय/2010/
संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

जयपुर, दिनांक : 24.7.2012

(स्वीकृति संख्या - 269 /2012-13)

विषय:- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला परिषदों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ4() परावि /आप्र/बजटधो-92/2012-13/1036 दिनांक 13.07.12 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 80.25 लाख (अक्षरे राशि रु. अस्सी लाख पच्चीस हजार मात्र) निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुये संबंधित जिला परिषदों के पीडी खातों में उनके समुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे:-

--व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग संख्या-41

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198 - ग्राम पंचायतों को सहायता

(12) - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

[02]- कार्यकलाप संबंधी

12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)

संलग्न सारणीनुसार :- राशि रूपये 80.25लाख (अक्षरे राशि रु. अस्सी लाख पच्चीस हजार मात्र)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषदों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय
[Signature]
23.07.12
(सुधीर शर्मा)

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकर, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-1) राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग।
5. मुख्य/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
6. सहायक शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. एसीपी, (वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

[Signature]

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)